



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082020-220947
CG-DL-E-07082020-220947

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2322]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942

No. 2322]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

का.आ. 2620(अ).— केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3995 (अ), तारीख 05.11.2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II , खंड-3, उप-खंड (II) में तारीख 05.11.2019 को प्रकाशित की गयी थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:-

क्रम संख्या 1 के सामने जिला चित्तूर और तालुक पुथलापट्टू से सम्बंधित गांव के नाम में प्रविष्टि (1) थेनेपल्ले के स्थान पर प्रविष्टि मुथिरेवुला अन्तः स्थापित की जाएगी

क्रम संख्या 1 के सामने जिला चित्तूर और तालुक पुथलापट्टू से सम्बंधित गांव के नाम में प्रविष्टि (4) ववीलथोटा के स्थान पर प्रविष्टि पेटा अग्रहारम अन्तः स्थापित की जाएगी

पाद टिपण्णी :- मूल अधिसूचना का. आ. 3995 (अ), तारीख 05.11.2019 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II , खंड-3, उप-खंड (II) में तारीख 05.11.2019 में प्रकाशित की गयी थी

[फा. सं. DEE4/AEE1/2018-19/3a Corr.]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, 5th August, 2020

S.O. 2620(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of National Highways Act, 1956 (48 of 1956), The Central Government here by makes the following amendments in the Notification of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways number **S.O.3995 (E) dated 05.11.2019**, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) dated the 05.11.2019 namely:-

In the schedule to the said Notification:-

Against Serial No.1 relating to Chittoor District for Puthalapattu Mandal and against name of village in place **(1) Tenepalle**, the village namely **Muthirevula** shall be included.

Against Serial No.1 relating to Chittoor District for Puthalapattu Mandal and against name of village in place of **(4) Vavilthota**, the village namely **Peta Agraharam** shall be included.

Foot Note:The Principal Notification vide S.O.3995 (E) date 05.11.2019, was published in the Gazette of India, Extra Ordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 05.11.2019.

After detailed land survey in field, it is found Land Aquisition is required in Muthirevula and Peta agraharam in place of vavilthota and thenepalle.

[F. No. DEE4/AEE1/2018-19/3a Corr.]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.